



एम पी स्टेट को-ऑपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड,  
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज, भोपाल - 462024  
(मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

संदर्भ/Ref: 295 एमएण्डपी/203/एमपीसीडीएफ/2022

Date: 25/01/2022

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/बुन्देलखण्ड

TIME LIMIT

विषय:-एमपीसीडीएफ में विकास निधि की स्थापना।

संदर्भ:-कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2926 दिनांक 02.08.2021, 3303 दिनांक 23.08.2021, 3555  
दिनांक 07.09.21

संदर्भित पत्रों के माध्यम से एमपीसीडीएफ में "विकास निधि" की स्थापना के संबंध में अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पशु पालन एवं डेयरी विभाग तथा प्राधिकृत अधिकारी, एमपीसीडीएफ से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपकी ओर प्रेषित किया गया था तथा प्रस्ताव पर अपने अभिमत से अवगत कराने हेतु सूचित किया गया था।

2. दिनांक 19.01.2022 को अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पशु पालन एवं डेयरी विभाग तथा प्राधिकृत अधिकारी, एमपीसीडीएफ द्वारा अब प्रतिवर्ष दुग्ध संघों से उनके शुद्ध लाभ की 20 प्रतिशत राशि (संशोधित दर) प्राप्त कर विकास निधि की स्थापना किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि वर्ष 2020-21 में आपके दुग्ध संघ द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ की 20 प्रतिशत राशि विकास निधि हेतु दिनांक 31 जनवरी 2022 तक एमपीसीडीएफ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक